रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

**PART I—Section 1**

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 150] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 22, 1973/आषाढ़ 1, 1895

**No. 150] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 22, 1973/ASADHA 1, 1895**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

**Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation**

## MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

*New Delhi, the 22nd June* 1973

SUBJECT.—*Import Policy for the year April* 1973—*March* 1974.

**No. 103-ITC(PN)/73.**—Attention of importers is invited to import policy as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April, 1973—March, 1974.

2. The paragraph 8 and 9(a) in Section I of the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April 1973—March 1974 may be deemed to have been substituted by the following:—

"8. Units which did not apply for licence for raw materials/components during April 1972—March 1973, or if their applications made during the said period have been finally rejected, can make their first import application during April 1973—March 1974 on the basis of actual consumption of imported raw materials/components in a period of 3 months, 6 months, 9 months or 12 months, as they may prefer, commencing from 1st July, 1972.

9(a) Units not covered by para 8 above, *i.e.* those which obtained licences for raw materials/components against their applications made during April 1972—March 1973 can make their import applications during April 1973—March 1974 on the basis of actual consumption of imported raw materials/components in continuation of the period of consumption covered by their applications made during April 1972—March 1973 but not earlier than 1st April 1972 at a time and can apply on the basis of consumption in a period of 3 months, 6 months, 9 months or 12 months."

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports & Exports.

**वाणिज्य मंत्रालय**

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 22 जून, 1973

**विषय.**—अप्रैल, 1973–मार्च, 1974 वर्ष के लिए आयात नीति ।

**सं० 103 आई० टी० सी०(पीएन)/73**—अप्रैल, 1973–मार्च, 1974 की अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक-वा० 1) में यथा निहित आयात नीति की ओर आयातकों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. अप्रैल, 1973–मार्च, 1974 की अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक–वा० 1) के खंड 1 की कंडिकाएं 8 तथा 9 (ए) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :—

"8. वे एकक जिन्होंने अप्रैल, 1973–मार्च, 1974 के दौरान कच्चे माल/संघटकों के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया या यदि उक्त अवधि के दौरान उनके दिए गए आवेदन-पत्र अन्तिम रूप से अस्वीकृत कर दिए गए हैं, तो अपनी सुविधा अनुसार, जुलाई, 1972 से प्रारंभ होने वाली 3 माह, 6 माह, 9 माह या 12 माह की अवधि में आयातित कच्चे माल/संघटकों की वास्तविक खपत के आधार पर अप्रैल, 1973–मार्च, 1974 के दौरान अपना प्रथम आयात आवेदन-पत्र दे सकते हैं।"

"9. (ए) वे एकक जो उपर्युक्त कंडिकाओं के अन्तर्गत नहीं आते अर्थात वे जिन्होंने अप्रैल, 1972–मार्च, 1973 के दौरान अपने किए गए आवेदन-पत्रों के मुद्दे कच्चे माल/संघटकों के लिए लाइसेंस प्राप्त किए थे, वे अप्रैल, 1972–मार्च, 1973 के दौरान किन्तु एक ही समय में पहली अप्रैल, 1972 के पहले के न हों, उनके द्वारा किए गए आवेदन-पत्रों के अन्तर्गत आने वाली खपत के आयातित कच्चे माल/संघटकों की अवधि के क्रम में वास्तविक खपत के आधार पर अप्रैल, 1973–मार्च 1974 के दौरान अपने आयात आवेदन-पत्र दे सकते हैं और 3 माह, 6 माह, 9 माह या 12 माह की एक अवधि की खपत के आधार पर आवेदन कर सकते है।

एस० जी० बोस मल्लिक,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973